



23/5/2022 को AIACE, नागपुर शाखा की होटल हेरिटेज, सदर, नागपुर में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्जीक्यूटिव्स (AIACE) और ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन (AICPA) नागपुर शाखा के एक बैठक 23/5/2022 को हेरिटेज होटल नागपुर में आयोजित की गई थी।



Meeting of AIACE AICPA Nagpur branch held on 23/5/22 at Heritage Hotel Nagpur

यह अद्भुत अनुभव था जब सदस्य हेरिटेज होटल, सदर, नागपुर में इकट्ठे हुए और AIACE/AICPA नागपुर शाखा की बैठक की।



A group of four men are standing in a meeting room. From left to right: a man in a light blue shirt and dark trousers, a man in a light blue checkered shirt and dark trousers, a man in a yellow short-sleeved shirt and dark trousers, and a man in a purple long-sleeved shirt and dark trousers. They are standing in front of a white leather sofa. In the foreground, there is a glass coffee table with several small white cups of tea and plates of snacks. On the wall behind them is a large purple banner for 'Mission 2.0 WCL' with various images and text. A television is mounted on the wall to the left, and an air conditioner is mounted on the wall to the right.

बैठक की शुरुआत में, श्री राठौर ने सदस्यों को डब्ल्यूसीएल मुख्यालय में आयोजित व्यस्त बैठकों के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले, श्री राठौर ने विस्तार से बताया, AIACE के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री पी के सिंह राठौर के साथ, डॉ ए के वर्मा ने श्री मनोज कुमार, सीएमडी डब्ल्यूसीएल और श्री जे पी द्विवेदी, डीटी (ओ),

डब्ल्यूसीएल से शिष्टाचार भेंट की थी।



सीएमडी, डब्ल्यूसीएल, से मुलाकात के बाद श्री राठौर, डॉ वर्मा, श्री जय कुमार और श्री विश्वकर्मा ने डॉ संजय कुमार, डीपी, डब्ल्यूसीएल का दौरा किया और उनके साथ पेंशन, एनपीएस ब्याज, CPRMSE और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।



उपरोक्त बैठक के बाद डॉ सुजाता समुक्दान, सीएमएस (आई/सी), डब्ल्यूसीएल के साथ बैठक की गई, जिनके साथ CPRMSE के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। टीम को डॉ सुजाता से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और सार्थक चर्चा हुई।

इन सकारात्मक घटनाओं से उत्साहित होकर, सदस्यों ने निम्नलिखित चर्चाओं और बैठक में लिए गए संबंधित निर्णयों के लिए आगे बढ़ना शुरू किया:

1. CMPS पेंशन में वृद्धि के संबंध में माननीय सांसदों को ज्ञापन सौंपना:

यह सामने आया कि CMPS-1998 पेंशन पर ज्ञापन विभिन्न सांसदों को सौंपे जाने के निर्णय के अनुसार अब तक ऐसे 74 ज्ञापन विभिन्न सांसदों को सौंपे जा चुके हैं।



श्री राठौर ने बताया कि यह गर्व की बात है कि नागपुर शाखा के 2 सदस्यों श्री बी ए राघोरटे और श्री बीजी बहोरिया ने बहुत कम समय में 5 सांसदों को ज्ञापन देकर उत्कृष्ट कार्य किया है। इन दोनों सदस्यों का श्री राठौर ने अभिनंदन किया जिन्होंने उन्हें प्रशंसा के रूप में माला पहनाई।

2. NPS कॉर्पस पर ब्याज:

यह सामने आया कि सीआईएल ब्याज के भुगतान के लिए दो विकल्पों पर विचार कर रहा है, यानि या तो लाभार्थी को सीधे भुगतान किया जाना है या पेंशन बढ़ाने के लिए सेवा प्रदाता (एलआईसी/आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल/एचडीएफसी लाइफ/एसबीआई लाइफ) को दिया जाना है। लाभार्थियों द्वारा किसी औपचारिकता का पालन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विवरण पहले से ही सीआईएल के पास है। 45 दिनों के भीतर फैसला होने की संभावना है। यह निर्णय लिया गया कि वास्तविक स्थिति का पता लगाने और सूचित करने के लिए केंद्रीय समिति से

अनुरोध किया जाए।



3. CPRMSE और अस्पताल का पैनल:

शाखा के अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्यों को हाल ही में अद्यतन CPRMSE उपलब्ध कराया। CPRMSE के तहत लंबित बिलों के मुद्दे पर चर्चा की गई और सदस्यों को सूचित किया गया कि डब्ल्यूसीएल प्रबंधन ने इन लंबित बिलों को जल्द ही मंजूरी देने की सूचना दी है।



4. पेंशन संशोधन के लिए जंतर-मंतर पर रिले भूख हड़ताल की तैयारी:

जुलाई में जंतर-मंतर, नई दिल्ली में रिले भूख हड़ताल की तैयारी और व्यवस्था के तौर-तरीकों पर चर्चा की गई। सदस्यों ने इसमें भाग लेने और इसकी सफलता के लिए कार्य करने पर सहमति व्यक्त की।

5. स्थानांतरित अधिकारियों के CMPF खाता बही में परिवर्तन:

विचार-विमर्श किया गया कि स्थानांतरित अधिकारियों के CMPF खातों को इन अधिकारियों की नियुक्ति के नए स्थान पर नहीं बदला जा रहा है। इससे सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के समय में समस्या हो रही है। CMPF के संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ डब्ल्यूसीएल अधिकारियों के साथ इस मुद्दे का पालन करने का निर्णय लिया गया।

6. बचे हुए अधिकारियों का PRP:

बचे हुए अधिकारियों के PRP भुगतान का मुद्दा भी चर्चा में आया। यह महसूस किया गया कि SAP शासन के तहत, एक विक्रेता आईडी का निर्माण एक आवश्यकता है। यह अनिवार्य आवश्यकता उन अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब साबित हो रही है, जिनके स्थानान्तरण पर पोस्टिंग की अपनी नई सहायक कंपनी में वेंडर आईडी फिर से बनाना आवश्यक है। एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रबंधन के साथ इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया गया क्योंकि पीआरपी भुगतान नए वेंडर आईडी निर्माण के अभाव में रुका हुआ है।